न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–464/2026

विट्टु कुमार बनाम बिहार राज्य

16.06.2026 आवेदक/अभियुक्त **विट्टु कुमार पे0 योगेन्द्र प्रसाद,** जो इसलामपुर थाना काण्ड सं–95/2026 (अन्तर्गत धारा–127(6),140(3),103(1),3(5) बी0एन0एस0) में अभियुक्त है व जिन्हें इस वाद में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री हरदेव प्रसाद द्वारा प्रचालित किया गया। इस जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवाई के क्रम में निवेदन किया गया है कि आवेदक की ओर से पूर्व में श्रीमान् के न्यायालय में या उपर के किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, जिन्हें गलत अभियोग के आधार पर इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक दूसरे जिला, यानि पटना जिला का रहनेवाला है, जब घटना इसलामपुर थाना, जिला–नालन्दा का है। आवेदक मृतका का नन्दोई है। इन तर्को के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक एवं सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–127(6),140(3),103(1),3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है एवं इनके विरूद्ध प्रत्यक्ष आरोप है कि इस वाद के अभियुक्तगण सूचक योगेन्द्र प्रसाद की पुत्री कान्ती देवी को मारपीट करते थे एवं जान से मारने की धमकी देते थे एवं दिनांक 10.03.2026 को कान्ती देवी को इलाज हेतु ले गये। तत्पश्चात् कान्ती देवी वापस नहीं आयी है। अनुसंधान के क्रम में यह बात भी प्रकाश में आयी है कि कान्ती देवी की हत्या गला दबाकर कर दी गई है। यह आरोप काफी गंभीर है एवं वाद दैनिकी में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त आवेदक अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तों से अधिक गंभीर आरोप है एवं इनके विरूद्ध प्रत्यक्ष आरोप है कि इन्होंने ही कान्ती देवी का गला दबाया है। इसके अतिरिक्त यह वाद अभी अनुसंधान के क्रम में है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार प्रस्तुत जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Alok Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा